# न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 105/2020
GCMS No. : 2020/00274

–:: वादी ::–

1. ओमप्रकाश गोदपुत्र राजूराम उर्फ राजू जाति– माली, निवासी– नोखड़ा बेरा आ0 कालू, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।

बनाम

–:: प्रतिवादी ::–

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.।

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**तारीख रजू :–23/10/2020**

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण एवं पैरोकार राज।

**–:: निर्णय ::–** **दिनाँकः– 30/08/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा आ0कालू प्रथम पटवार हल्का आ0कालू प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली राज में वादी के पिता राजू उर्फ राजूराम के नाम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 752 रकबा 0–02 बीघा ख. नं. 759 रकबा 0–14 बीघा ख. नं. 920 रकबा 9–02 बीघा ख. नं. 929 रकबा 8–04 बीघा ख. नं. 938 रकबा 12–13 बीघा कुल खसरा 5 कुल रकबा 30–15 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी मे वादी के पिता राजू उर्फ राजूराम का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त था और वर्तमान वादी का मौके पर राजस्व रेकर्ड अनुसार क़ब्जा काश्त है। नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड मे राजू उर्फ राजूराम पुत्र हेमाराम के नाम इन्द्राज है परन्तु राजू उर्फ राजूराम पुत्र हेमाराम के कोई जायन्दा पुत्र पुत्री नहीं होने से आज से कई वर्षो पूर्व वादी ओमप्रकाश जो कि राजू उर्फ राजूराम के सगे भाई हरदीनराम का पुत्र है उसे सामाजिक रिति रिवाज अनुसार गोद ले लिया और गोद लेने के पश्चात राजू उर्फ राजूराम वादी ओमप्रकाश के साथ ही रहने लग गया लेकिन वादी व वादी के गोद पिता अनपढ होने से उन्होंने कोई गोदनामा तकमील नहीं करवाया केवल मात्र गांव में परिवार के व्यक्तियों के समक्ष पाग बंधवाकर सामाजिक रिति रिवाज अनुसार गोद ले लिया तब से वादी राजू उर्फ राजूराम का गोदपुत्र हैं तथा राजु उर्फ राजूराम की समस्त चल व अचल सम्पति का उपयोग उपभोग वादी ओमप्रकाश कर रहा है एवं अपने प्राकृतिक पिता हरदीनराम की चल व अचल सम्पति में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं किया। वादी राजू उर्फ राजूराम का गोद पुत्र होने का दस्तावेजी सबूत के रूप मे वादी का आधार कार्ड, राशन कार्ड जिनमे सभी मे वादी की वल्दीयत राजू उर्फ राजूराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:49:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

अंकित है जो वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। वादी जो कि काश्तकार व्यक्ति है और काश्त के कार्य करने के लिये बाहर भी मजदूरी पर जाता आता और जहां भी परिवार सहित खाने कमाने जाता वहां अपने गोद पिता राजू उर्फ राजूराम को साथ रखता एवं सेवा चाकरी करता और समस्त परिवार समाज गांव बिरादरी मे वादी को राजू उर्फ राजूराम का गोदपुत्र के रूप में जानते पहचानते व पुकारा जाता है। आज से करीब 04 वर्ष पूर्व से अधिक समय से पहले वादी के गोद पिता बिमार रहने लग गये तब उन्होने कहा कि मै बीमार रहता हू और मेरे स्वास्थ्य का कोई पता नही तो उन्होने अपनी समस्त चल व अचल सम्पति की एक वसीयत वादी ओमप्रकाश के पक्ष में दिनांक 07/10/2016 को तकमील कर दी और राजू उर्फ राजूराम ने अपनी कृषि भूमि पर अपना एक मात्र हक अधिकार बताते हुए उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को जो राजू उर्फ राजूराम के हक अधिकार की थी वो वादी ओमप्रकाश के नाम वसीयत कर दी तब से वादी वादपत्र में वर्णित आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तत्पश्चात दिनांक 01/11/2018 को वादी के गोद पिता राजू उर्फ राजूराम का स्वर्गवास हो गया और जिसकी बारहवे कीं रस्म, गंगाजली, पाग बंधवाई समस्त कियाकर्म वादी ने एक पुत्र के रूप में किया तथा शोक सन्देश के कार्ड भी वादी ने छपवाये उसमे यह अंकित किया कि ओमप्रकाश के पूज्य पिताजी का देहान्त हो गया तो इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी राजू उर्फ राजूराम का गोद पुत्र है परन्तु कोई भी गोदनामा तकमील नही हुआ परन्तु वसीयतनामा तकमील किया था और जिस वसीयत बाबत् किसी को कोई आप्पति ऐतराज नहीं होने से वसीयत आज भी प्रभावी है तत्पश्चात वादी ने अपने पिता के सारे मृत्युउपरान्त कार्य सम्पन्न करने के पश्चात सभी दस्तावेज वसीयतनामा प्रतिवादी के समक्ष पेश किया कि उसके नाम फौतेदगी म्युटेशन पारित किया जावे परन्तु उस समय तत्कालीन तहसीलदार, आर आई पटवारी ने वादी के पक्ष मे फ़ौतेदगी म्युटेशन पारित नही किया और वादी खाने कमाने के सिलसिले में जैसलमेर रहने लग गया वहां पर कृषि कार्य करता इसलिए कई दिनो तक उसे जानकारी नहीं हुई कि उसके नाम फौतेदगी म्युटेशन पारित हुआ या नही हुआ। वादी दिनांक 08/08/2020 को अपने गांव आया और अपनी खेतीबाडी की देखभाल की और उसके पश्चात उसने किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने के लिये राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब जानकारी हुई कि उसके नाम अभी तक कोई म्युटेशन पारित नही हुआ तब वादी ने एक प्रार्थनापत्र प्रतिवादी के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित आराजी जो कि मेरे मालिकाना हक की है मैं राजू उर्फ राजूराम का गोदपुत्र हूं तथा राजू उर्फ राजूराम ने अपने जीवनकाल में वादी के पक्ष में वसीयत भी तकमील कर रखी है परन्तु प्रतिवादी ने फौतेदगी म्युटेशन पारित करने से इन्कार कर दिया तब वादी ने समस्त दस्तावेजात की नकले प्राप्त करने के पश्चात यह घोषणा का वादपत्र पेश करने के [illegible] अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का श्रीमान के समक्ष पेश है। वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित आराजी सामलाती है जिसमे अन्य और भी सहहिस्सेदार है परन्तु वादी को अन्य किसी सहहिस्सेदार से कोई अनुतोष की आवश्यकता नहीं होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:49:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

चौपड़ा ब्रॉदर्स, त्रिपोलिया, जोधपुर।



उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 08/08/2020 को वादी द्वारा प्रतिवादी के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपने नाम फौतेदगी म्युटेशन पारित करने का आग्रह करने पर प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने पर बमुकाम आ0 कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज मे पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से यह वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा मय वस्तु स्थिति रिपोर्ट पेश की, जो सा.मि. है। तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा में कथन किया कि पैरा संख्या 1 राजस्व रेकर्ड के आधार पर स्वीकार है। वादी ओमप्रकाश को राजूराम उर्फ राजू द्वारा गोद लिए जाने पर गोदनामा पंजीकृत नही करवाया गया मात्र सामाजिक रीति रिवाज अनुसार गोद लिया गया यह तथ्य पटवारी हल्का की मजमें आम में दिनांक 26.10.2021 को तैयार फर्द मौका रिपोर्ट से प्रतीत होता है। राजुराम उर्फ राजु द्वारा ओमप्रकाश के पक्ष में दिनांक 07.10.2016 को नोटेरी तस्दीक वसीयत की प्रति संलग्न है। पैरा संख्या 4 अस्वीकार है। वादपत्र का पैरा संख्या 5 से 7 कानूनी है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। पत्रावली का बिन्दूवार विवरण एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा आनन्दपुर कालू पटवार हल्का आनन्दपुर कालू प्रथम में वादी के पिता राजू उर्फ राजूराम के नाम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या खसरा नम्बर 752 रकबा 0-02 बीघा ख. नं. 759 रकबा 0-14 बीघा ख. नं. 920 रकबा 9-02 बीघा ख. नं. 929 रकबा 8-04 बीघा ख. नं. 938 रकबा 12-13 बीघा कुल खसरा 5 कुल रकबा 30-15 बीघा आई हुई है। वर्तमान में वादी का मौके पर कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में राजू उर्फ राजूराम पुत्र हेमाराम के नाम इन्द्राज है। परन्तु राजू उर्फ राजूराम पुत्र हेमराम के कोई जायन्दा पुत्र पुत्री नही होने से कई वर्षो पूर्व वादी ओमप्रकाश जो कि राजू उर्फ राजूराम के सगे भाई हरदीनराम का पुत्र है, को सामाजिक रीति रिवाज अनुसार गांव में परिवार के व्यक्तियो के समक्ष पाग बंधवाकर गोद लिया था, लेकिन गोदनामा तकमील नही करवाया था। तभी से वादी ओमप्रकाश, राजू उर्फ राजूराम का गोदपुत्र है तथा राजू उर्फ राजूराम की समस्त चल अचल सम्पति का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। तथा अपने प्राकृतिक पिता हरदीनराम की चल व अचल सम्पति में कोई हक अधिकार प्राप्त नही किया है। वादी ओमप्रकाश के राजू उर्फ राजूराम का गोदपुत्र होने के दस्तावेजी सबूत के रुप में वादी का आधार कार्ड, राशन कार्ड [illegible] में वादी की वल्दीयत राजू उर्फ राजूराम अंकित है। राजू उर्फ [illegible] समस्त चल व अचल सम्पति वादी ओमप्रकाश के पक्ष में दिनांक 07.10.2016 को तकमील कर ओमप्रकाश के नाम वसीयत कर दी। तत्पश्चात वादी के गोदपिता राजू उर्फ राजूराम का स्वर्गवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:49:52 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

दिनांक 01.11.2018 को हो गया। वादी ओमप्रकाश ने सभी दस्तावेज वसीयतनामा प्रतिवादी के समक्ष फौतेदगी म्युटेशन पारित करने हेतू पेश किए लेकिन प्रतिवादी ने फौतेदगी म्युटेशन पारित करने से इंकार कर दिया। अतः वादग्रस्त आराजी की वसीयत निष्पादित करने से राजू उर्फ राजूराम के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2. तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि सरहद मौजा आनन्दपुर कालू पटवार हल्का आनन्दपुर कालू प्रथम में वादी के पिता राजू उर्फ राजूराम के नाम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या खसरा नम्बर 752 रकबा 0–02 बीघा ख. नं. 759 रकबा 0–14 बीघा ख. नं. 920 रकबा 9–02 बीघा ख. नं. 929 रकबा 8–04 बीघा ख. नं. 938 रकबा 12–13 बीघा कुल खसरा 5 कुल रकबा 30–15 बीघा आई हुई है। तथा पट्वारी हल्का आनन्दपुर कालू प्रथम की मजमें आम में प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान दिनांक 26.10.2021 को तैयार फर्द मौका अनुसार वादी ओमप्रकाश को राजू उर्फ राजूराम द्वारा गोद लिये गया लेकिन गोदनामा पंजीकृत नही करवाया मात्र सामाजिक रीति रिवाज अनुसार गोद लिया गया तथा राजूराम पुत्र हेमाराम ने अपनी खातेदारी भूमि में से अपने हिस्से की भूमि को नोटेरीशुदा वसीयत से ओमप्रकाश के पक्ष में की थी। तथा राजूराम की भूमि को वर्तमान में ओमप्रकाश द्वारा ही उपयोग व उपभोग में ली जा रही है।

3. साक्ष्यवादी में वादी ओमप्रकाश पुत्र राजूराम उर्फ राजू द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यु.1, गवाह जगदीश पुत्र हरदीनराम जाति माली उम्र 28 वर्ष निवासी बेरा नोखड़ा आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.2 तथा गवाह चेनाराम पुत्र पूसाराम जाति जाट उम्र 34 वर्ष निवासी चाण्क्यपुरी पाल रोड़, जोधपुर जिला जोधपुर का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु. 3 पेश किए जो शामिल मिसल किये गए। वादी एवं गवाहान् द्वारा साक्ष्यवादी में प्रस्तुत शपथ पत्रो में वादपत्र में उल्लेखित तथ्यो व कथनो का समर्थन किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श करवाए। गवाह चैनाराम पुत्र पुसाराम जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा प्रदर्श–2ए में साक्षी संख्या 02 भी है, द्वारा मुख्य परीक्षण में यह स्वीकार किया कि वादी के दत्तक पिता राजूराम उर्फ राजू पुत्र हेमाराम ने एक वसीयतनामा दिनांक 07.10.2016 को मेरे सामने जोधपुर में तकमील किया जो प्रदर्श 02 है जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 02ए है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है तथा मेरा अंगुठा निशान है। वसीयत नोटेरी मेरे सामने प्रमाणित की गई। वादी के जीवित पिता हरदीनराम के पुत्र व वादी के जैविक भाई गवाह जगदीश पुत्र हरदीनराम ने साक्ष्य शपथ पत्र में वादपत्र में अंकित कथनो का समर्थन करते हुए यह स्वीकार किया कि वादी ओमप्रकाश के गोदपिता राजूराम उर्फ राजू के नाम की वादग्रस्त आराजी खातेदारी भूमि है। राजूराम उर्फ राजू के कोई औलाद नही थी इसलिए उन्होने कई वर्षो पूर्व वादी ओमप्रकाश को सामाजिक रीति रिवाज से गोद ले लिया था। लेकिन गोदनामा तकमील नही करवाया गया। वादी राजूराम उर्फ राजू का गोदपुत्र होने के दस्तावेजी साक्ष्य केरुप में आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड आदि में वादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:49:52 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वल्दियत राजूराम उर्फ राजू अंकित है। रजिस्टर्ड गोदनामा नही होने के कारण वादी के गोदपिता राजूराम उर्फ राजू द्वारा दिनांक 07.10.2016 को वसीयतनामा वादी ओमप्रकाश के पक्ष में तकमील करवाया। प्रदर्श–1 ग्राम आनन्दपुर कालू प्रथम की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अंकन अनुसार वादग्रस्त आराजी में राजू पुत्र हेमा सहखातेदार दर्ज है। प्रदर्श–2ए राजूराम उर्फ राजू पुत्र हेमाराम द्वारा ओमप्रकाश पुत्र हरदीन गोदपुत्र राजूराम उर्फ राजू के पक्ष में दिनांक 07.10.2016 को तकमील किया गया नोटेरीशुदा वसीयतनामा है जिसमें गवाह व पहचानकर्ता के रूप में रतनकुमार टांक पुत्र मांगीलाल टांक निवासी महादेव नगर पाल रोड जोधपुर तथा चैनाराम पुत्र पुसाराम जाति जाट निवासी चाणक्यपुरी पाल रोड़ जोधपुर के अंगुठा निशान व हस्ताक्षर है। वसीयतनामा में राजूराम उर्फ राजू पुत्र हेमाराम ने सरहद मौजा आनन्दपुर कालू प्रथम के खसरा संख्या 752, 759, 920 व 938 जो कि शामलाती सहखातेदारी भूमि है को अपने हक हिस्से तक की भूमि को ओमप्रकाश पुत्र हरदीन गोदपुत्र राजूराम उर्फ राजू के हक में वसीयत की गई है। प्रदर्श 3 ए ओमप्रकाश पुत्र. राजूराम का आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श 4ए ओमप्रकाश पुत्र राजूराम का ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति, प्रदर्श 5ए ओमप्रकाश पुत्र राजूराम का आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रति तथा प्रदर्श 6ए ग्राम आनन्दपुर कालू द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड संख्या 009036400906 जो दिनांक 06.09.2017 को विकास अधिकारी पंचायत समिति जैतारण द्वारा राजूराम पुत्र हेमाराम के नाम से जारी है, जिसमें परिवार सदस्यो के रूप में ओमप्रकाश बेटा आयु 44 वर्ष दर्ज है।

4. इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान मजमें आम में तैयार मौका फर्द के अनुसार ओमप्रकाश पुत्र हरदीन जो रिश्ते में राजूराम पुत्र हेमाराम के छोटे भाई हरदीनराम का पुत्र है को राजूराम पुत्र हेमाराम द्वारा सामाजिक रीति रिवाज अनुसार गोद लिया गयाा। राजूराम उर्फ राजू द्वारा पुत्र स्व. हेमाराम द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 07.10.2016 को निष्पादित वसीयतनामा में निष्पादनकर्ता द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा उसके सगे भाई हरदीन के पुत्र ओमप्रकाश को गांवो के पंचो के समक्ष गोद लिया हुआ है जिसके पक्ष में ग्राम आनन्दपुर कालू में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 752, 759, 920, 929 व 938 की मेरी खातेदारी कब्जा काश्त शामलाति भूमि में से अपना समस्त हिस्सा ओमप्रकाश के पक्ष में वसीयत कर दी। ग्राम पंचायत आनन्दपुर कालू द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 08118005970021600061/2018 के अनुसार राजूराम पुत्र हेमाराम माली निवासी आनन्दपुर कालू की दिनांक 01.11.2018 को मृत्यु हो चुकी है। अतः चूंकि वादग्रस्त आराजी के खातेदार राजूराम उर्फ राजू की मृत्यु हो चुकी है अतः राजूराम उर्फ राजू द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 07.10.2016 वर्तमान में प्रभावशील है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत वसीयतनामा वर्तमान में अप्रभावशील हो। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादपत्र भलीभांति साबित होता है लिहाजा वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:49:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

## –:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आनन्दपुर कालू प्रथम पटवार हल्का आनन्दपुर कालू प्रथम तहसील–जैतारण जिला–पाली के खसरा नम्बर 752 रकबा 0–02 बीघा ख. नं. 759 रकबा 0–14 बीघा ख. नं. 920 रकबा 9–02 बीघा ख. नं. 929 रकबा 8–04 बीघा ख. नं. 938 रकबा 12–13 बीघा कुल खसरा 5 कुल रकबा 30–15 बीघा में बतौर सहखातेदार दर्ज प्रविष्टि राजू पुत्र हेमा जाति माली सा0देह खातेदार के स्थान पर वादी ओमप्रकाश गोदपुत्र राजूराम उर्फ राजू जाति माली निवासी नोखड़ा बेरा आनन्दपुर कालू को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद हो। वादपत्र इसी कदर डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस आदेश का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से 1 कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 30/08/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:49:52 IST
Reason: SelfAttested